जनपद - संतकबीर　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　दिनॉक 07.07.2021

आज दिनांक 07.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

04 किलो 500 ग्रांम अवैध गांजे के साथ अन्तर्जनपदीय 02 शातिर गाँजा तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ0 कौस्तुभ** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मेहदालवल **श्री रामप्रकाश** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थानाध्यक्ष बखिरा **श्री मनोज कुमार सिंह** द्वारा आज दिनांक 07.07.2021 को समय करीब 07.40 बजे मलंग शाह बाबा की मजार की तरफ जाने वाली सड़क पर बनी पुलिस के पास से **04 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा** के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 – राजकुमार पुत्र विरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त की निशानदेही पर 2 – गणेश यादव पुत्र राधेश्याम यादव को चमनगंज में वाशिद की दुकान के बगल से समय 9.22 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बखिरा पर क्रमश- मु0अ0सं0 190 /2020 व 192 / 2021 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1 – राजकुमार पुत्र विरेन्द्र निवासी नंदौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

2 – गणेश यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी कौड़िया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी –

1 – 04 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

2 – 760 रुपये नकद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त गणेश यादव का आपराधिक इतिहास –</u>

1- मु0अ0सं0 98 / 2018 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

2- मु0अ0सं 247 / 2018 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

विवरण –

पूछताछ में उक्त अभियुक्त राजकुमार द्वारा अवैध गांजे के संबन्ध में बताया कि साहब इस क्षेत्र के ग्राम कौड़िया के रहने वाले गणेश यादव गांजा का सप्लाई करते हैं वही हमारे लीडर है उन्ही से माल लिया

हूं इस समय वो चमनगंज में वाशिद की दुकान के बगल में वो माल के साथ मौजदू है और ग्राहक के इन्तजार में है। अभियुक्त की निशानद देही पर अभियुक्त गणेश यादव को गिरफ्तार किया गया जिससे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताया कि मेरे पास कोई आय का साधन नही है मेरे इस धन्धे का मुख्य सहयोगी राजकुमार है मैं नेपाल से माल लाता हूं तथा हम लोगो के द्वारा इसे जनपद संतकबीरनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर व गोरखपुर सहित आस पास के जनपदों में बिक्री करता हूँ तथा इससे प्राप्त आय से अपना घर चलाता हूँ । आज हम लोगों के द्वारा यह गांजा लाया गया था जिसमें से कुछ गांजा राजकुमार को बेचने के लिए दिया था और शेष बचे गांजे को बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा था कि आपके द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष बखिरा श्री मनोज कुमार सिंह, उ0नि0 श्री उदय शंकर द्विवेदी, उ0नि0 श्री कल्पनाथ सिंह, हे0कां0 देवेन्द्र यादव, हे0कां0 सुशील यादव, हे0कां0 परमेश मिश्रा, कां0 आदित्य सिंह, चालक अर्जुन प्रसाद।

नोट- जनपद पुलिस के इस सराहनीय कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर महोदय द्वारा 10,000 रु0 के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा, धोखे से हड़पे गये रुपये में से, 332500 रुपये व 02 अदद सिक्का (पीला धातु) के साथ वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.05.2021 को वादी श्री हरिश्चन्द्र वर्मा पुत्र श्री विजय कान्त वर्मा निवासी भरसाड़ थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर द्वारा कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वर्तमान में खलीलाबाद हनुमान गढ़ी मन्दिर पर ही रहता हूं वही पास में ही मेरी दुकान है वहीं मंदिर पर व मेरी दुकान पर लगभग एक साल से एक मौलाना आता रहता था जिससे मेरा भी परिचय हो गया दिनांक 26.05.2021 को पुराना सोना बदलने के बहाने मेरा 10 लाख रुपये हड़प लिया गया था। प्रकरण के संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 368 / 2021 धारा 406 भादवि पंजीकृत किया गया था।। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक **डॉ कौस्तुभ** द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद व सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित कर सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अम्बरीश भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद **श्री मनोज कुमार पाण्डेय** के नेतृत्व में गठित टीम व प्रभारी सर्विलांस टीम द्वारा आज दिनांक 07.07.2021 एचआरपीजी कालेज के पास से मुखबिर खास की सूचना के आधार मु0अ0सं0 368 / 2021 धारा 406 / 411 / 420 भादवि में वांछित 02 अभियुक्त

क्रमश 1 - बदरुद्दुजा पुत्र अब्दुल जलील 2 - जमाल पुत्र आलमगीर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1- बदरुद्दुजा पुत्र अब्दुल जलील निवासी महदेवा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
2- जमाल पुत्र आलमगीर निवासी अमरडोभा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

कुल बरामदगी-

1- 332500 रुपये नकद।
2- 02 अदद पीले धातु के सिक्के।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि हम दिनांक 26.05.2021 को खलीलाबाद के हनुमानगढ़ी के सर्राफा व्यवसायी हरिश्चन्द्र वर्मा से मगहर के पास बुलाकर 10,000,00 (दस लाख) रुपये बेवकूफ बना कर हम लोग ले लिए थे जिसमें हम लोगों के साथ अब्दुलाह पुत्र मुर्तजा निवासी कौलपुर

थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर, समीम पुत्र महमूद खान निवासी रतन पुर खानटोला थाना नौतनवा जनपद महराजगंज, सखरे पुत्र शमशीर आलम निवासी अमंवा थाना नौतनवा जनपद महराजगंज भी सम्मलित थे। बरामद पैसों व पीली धातु के सिक्कों के बारे में पूछने पर बताया गया कि उपरोक्त हरिश्चन्द्र से पांच लोगों ने मिलकर उन्हें बेवकूफ बनाकर जो 10 लाख रुपये लिये थे उसी रुपयों को हम पांचो लोगों ने बराबर 02-02 लाख रुपये आपस में बांट लिया गया था व बरामद सिक्के इन्हीं पैसे से खरीदे थे।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-

1- थाना कोतवाली खलीलाबादः- उ0नि0 श्रीमती संध्यारानी तिवारी (प्रभारी चौकी गोला), उ0नि0 श्री रजनीश राय (प्रभारी चौकी कलेक्ट्रेट), उ0नि0 श्री अमला यादव, म0कां0 नन्दिनी उपाध्याय।
2- सर्विलांस टीमः- उ0नि0 श्री दीपक दुबे (प्रभारी सर्विलांस), कां0 प्रदीप कुशवाहा, कां0 मनीष गुप्ता, कां0 मनोज कुशवाहा।

नोट- जनपद पुलिस के इस सराहनीय कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर महोदय द्वारा 10,000 रु0 के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

08 किलो ग्रांम अवैध गांजे के साथ अन्तर्राज्यीय 02 शातिर गाँजा तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ0 कौस्तुभ** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मेहदालवल **श्री रामप्रकाश** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा **श्री जितेन्द्र कुमार यादव** द्वारा आज दिनांक 07.07.2021 को समय करीब 03.10 बजे खजुरी नहर पुल के पास

से **08 किलोग्राम अवैध गांजा** के साथ 02 अभियुक्त नाम पता क्रमश 1 – अशोक पुत्र वकील पासवान 2 – संभू चौधरी पुत्र स्व0 चूल्हा चौधरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 47/ 2021 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1- अशोक पुत्र वकील पासवान निवासी पहाड़पुर थाना जुरावनपुर जनपद वैशाली बिहार।
2- शंभू चौधरी पुत्र स्व0 चूल्हा चौधरी निवासी पहाड़पुर थाना जुरावनपुर जनपद वैशाली बिहार।

बरामदगी –

1 – 08 किलोग्राम अवैध गांजा।
1 – 770 रुपये नकद।
2 – 02 अदद TAYCON कंपनी का पिट्ठू बैग।

विवरण –

क्षेत्र पंचायत सदस्य (प्रमुख) के चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर महोदय के द्वारा वांछित एवं संक्रिय अपराधियों व जमानत में बाहर हुए आये हुए शातिर अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 07-0-2021 को समय करीब 03.10 बजे खजुरी नहर पुल के पास थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार यादव मय हमराहीगणों द्वारा अन्तर्राज्यीय शातिर गाँजा तस्कर उपरोक्त को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है तथा उक्त अभियुक्तगणों के कब्जे से 08 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद

की गयी। पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा बताया कि मेरे पास कोई आय का साधन नही है हम लोगो के द्वारा बिहार से गांजा लाकर संतकबीरनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर व गोरखपुर सहित आस पास के जनपदों में बिक्री करता हूँ तथा इससे प्राप्त आय से अपना घर चलाता हूँ । आज हम लोगों के द्वारा यह गांजा लाया गया था जो जनपद के अन्य जगहों पर बेच कर अपने घर चले जाते परन्तु आप लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा जितेन्द्र कुमार यादव, उ0नि 0 श्री संजय सिंह, कां0 मनोज कुमार, कां0 आदित्य कुमार यादव, कां0 धर्मेन्द्र यादव, कां0 राघवेन्द्र यादव, कां0 देवनरायण, का0 चंदन कुमार।

नोट- जनपद पुलिस के इस सराहनीय कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर महोदय द्वारा 10,000 रु0 के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 19 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

● **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

● **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

● **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा मारपीट मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्तपाल– पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 11147 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट / विवाद के दौरान मे तीन व्यक्तयों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को जरिए 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 विनोद गुप्ता, आरक्षी सुजीत कुमार सिंह, हो0चा0 अवधेश त्रिपाठी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 120 वाहनो से 97000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल व 01 वाहन को सीज किया गया

आज दिनांक 07.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 120 वाहनो से 97000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल करते हुए वाहन का कोई भी कागजात प्रस्तुत न कर पाने के कारण 01 वाहन को सीज किया गया।